


अपील संख्या 42/2017 एल आर एक्ट
अनवान रजीराम वगैरह बनाम रामचन्द्र वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
15-04-2019	<p>पत्रावली विद्वा प्रार्थना पत्र के आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट श्री नरसाराम जाखड़ ने विद्वा प्रार्थना पत्र पर अंकित बिन्दुओ पर बहस के दौरान कंहा कि पक्षकारो के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, अब पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही रहा है। इसलिए अपीलाट अब उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहता है, अतः अपील (WITHDRAW) विद्वा खारिज फरमाई जावे।</p> <p>रेस्पोजेन्ट सख्या 1 के अभिभाषक श्री सत्यपाल सहू ने अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील विद्वा करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा पेश विद्वा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया।</p> <p>इस न्यायालय में यह अपील अपीलान्ट के अभिभाषक श्री नरसाराम जाखड़ द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 15.10.2012 के विरुद्ध पेश की गई है। अभिभाषक अपीलाट स्वय इस अपील को आगे नही चलाना चाहता है तथा रेस्पोजेन्ट सख्या 1 के अभिभाषक ने भी अपील विद्वा करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया। अतः विद्वा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट जरिये (WITHDRAW) विद्वावल खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया 75-76 25-4-19</p> <p> डी.जी. आर. आर. डी.कानेर</p>